

28.1.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11.2.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11-2-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25.2.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25.2.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.3.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27.3.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.5.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.5.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.5.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.5.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14.8.20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण अनुपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौफा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाह पब कि गई, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैल नुमार होकर भन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 154/19 प्रा.पत्र

1- श्री मोहन लाल शं. श्री नारायण कुमार निवासी-वागोर त. गाण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री त्रिलोक शं. श्री रोडा कीर निवासी-वागोर तहसील-गाण्डल [गौर]  
(सुदंभित प्रा. पत्र संतम है)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 14-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वागोर I पटवार हल्का वागोर I तहसील गाण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2909/1, 2917/1 कुल कित्ता 02 रकबा - बीघा 18 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी गुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-10-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वागोर I पटवार हल्का वागोर I तहसील गाण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2909/1, 2917/1 कुल कित्ता 02 रकबा - बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा